कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 118/2017 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री कौर सिंह पुत्र श्री जंगीर सिंह प्लाट नं0 8, सैक्टर नं0 9/1 नजदीक जाट धर्मशाला हनुमानगढ जंक्शन

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा।

––प्रत्यार्थी

आदेश दिनांकः–19.12.2017

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के विरूद्व प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित नही। अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा से चाही सूचना उपलब्ध नही कराई गई। सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा यह अपील की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा द्वारा पत्र कमांक 982 दिनांक 29.11.2017 से अपीलार्थी को सीधे लिखते हुए जिसकी प्रतिलिपि प्राप्त हुई है। उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के उक्त पत्र की प्रतिलिपि के अनुसार उनके द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में सूचित किया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की इस अपील में ओर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने के कारण अपीलार्थी की वर्तमान अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official